

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण सत्र 2025-27 में नामांकन के संबंध में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं संबंधित प्राचार्य के लिए आवश्यक सूचना

दिनांक 26.08.2025 से 27.09.2025 तक की अवधि में आयोजित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परिभाषाल (Score Card) के आधार पर राज्य अन्तर्गत डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण सत्र 2025-27 में ऑनलाइन प्रणाली से संस्थान आवंटन किए जाने की कारवाही की जा रही है। ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन एवं शुल्क तथा प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण प्रामाणिकता के आधार पर मरने पर 29.11.2025 से 05.12.2025 तक की तिथि निर्धारित की गई है। अतः डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 के उत्तीर्ण एवं डीएलएड संस्थानों में नामांकन हेतु इच्छुक विद्यार्थी समिति की वेबसाइट <https://www.bsebeled.com> पर दिनांक 29.11.2025 से 05.12.2025 तक की अवधि में ऑनलाइन नामांकन से आवेदन एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदक द्वारा Common Application form (CAF) भरकर आवेदन पूर्ण किया जाएगा। निर्दिष्ट मोबाइल नंबर पर OTP डालने पर आवेदन स्वीकार होगा। आवेदक का आई.डी. नं. उन्का रोल नं. एवं पासवर्ड जन्म तिथि आधारित होगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु समिति का पोर्टल दिनांक 29.11.2025 से 05.12.2025 तक की अवधि में खुला रहेगा।

2. प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता :-

- उच्च माध्यमिक (2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं।
- नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि / निशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट होगी।
- 50 प्रतिशत अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उच्च माध्यमिक (2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में नामांकन के पात्र होंगे।
- वैसे अर्थव्यवस्था जिन्होंने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अन्तर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इण्टर, 10+2 अथवा फौजवाग के बाद इण्टर, 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे।
- वैसे अर्थव्यवस्था जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई. या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे।

नोट : डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या - पी०आर० 08 / 2025 की कंडिका 3 (iv) के माध्यम से उक्त परीक्षा में वर्ष 2025 की उच्च माध्यमिक (+2) अथवा इसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को भी सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। चूंकि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में नामांकन हेतु उम्मीदवारों को उच्च माध्यमिक (+2) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से (सभी आरक्षित कोटि के अर्थव्यवस्था के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5 प्रतिशत छूट) उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अतः उच्च माध्यमिक (+2) अथवा इसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2025 में उपर्युक्त निर्धारित प्राप्तांक प्राप्त करने से कम अंक प्राप्त परीक्षार्थी डीएलएड संस्थानों में नामांकन हेतु तथा तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले हेतु पात्र नहीं हैं, मले ही वे डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण घोषित हुए हों। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 में "Appearing Candidate" के रूप में सम्मिलित एवं उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण वैसे अर्थव्यवस्था, जो वर्ष 2025 की उच्च माध्यमिक (+2) अथवा इसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण हुए हैं, वे आवेदन पोर्टल पर अपनी उच्च माध्यमिक (+2) / समकक्ष वार्षिक परीक्षा का विवरण अंकित करेंगे।

3. उम्र सीमा (Age Limit):- अर्थव्यवस्था की न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष (नामांकन वर्ष के प्रथम माह की प्रथम तिथि को) सभी कोटि के लिए।

4. आरक्षण (Reservation)

(क) **ऊर्ध्वार आरक्षण (Vertical Reservation)** डीएलएड (द्वितीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), पिछड़े वर्ग की महिलाओं (WBC) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अर्थव्यवस्था (EWS) के पक्ष में क्रमशः 16 प्रतिशत, 01 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 03 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना / शासनादेश के अनुसार देय होगा।

(ख) **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)**

(i) सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अर्थव्यवस्था के लिए पाँच प्रतिशत (5%), बिहार राज्य के निवासी स्वतंत्र / स्वतंत्र / विद्यमान / भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्र / आश्रित विधवा विधवा पुत्री को पाँच प्रतिशत (5%), क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(ii) पद विषय के अर्थव्यवस्था के लिए दस प्रतिशत (10%) स्थान आरक्षण होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उच्च विषय के साथ उत्तीर्णता हासिल की है।

(iii) सभी संस्थानों में कुल सीट का 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला / वाणिज्य के अर्थव्यवस्था के लिए आरक्षित होगा।

5. NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त राज्य के निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रभावी प्राधान्य :- विद्यार्थी पत्रांक 12 / विविध-11 / 2016 (अंश-1) -07 दिनांक 06.01.2023 में अंकित है कि "The Bihar (In Admission and Information) Reservation Act 2003 के अनुसार "To provide for adequate representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in Admission at all levels and in all kinds of educational Institutions such as General, Technical, Non-Technical, Commercial, etc. either fully or partially aided by the state Government." अर्थात् डीएलएड कोर्स संचालित राज्य से पूर्णतः या अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में ही आरक्षण का प्राधान्य प्रभावी है।

6. निजी प्रशिक्षण संस्थानों में दो वार्षिक डीएलएड कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क :- संयुक्त सचिव, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, पटना के ज्ञापक 12 / प्रशिक्षण-01 / 2016 (अंश-1) - 343 दिनांक 03.07.2023 द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य के गैर-सरकारी स्व-वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों में दो वार्षिक डीएलएड कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-25 से प्रति छात्र अधिकतम 60,000/- (साठ हजार) रुपये वार्षिक शुल्क तथा कुल दो वर्ष के सम्पूर्ण कोर्स हेतु प्रति छात्र अधिकतम 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रुपये मात्र शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम है। शुल्क निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा डीएलएड कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षककेतव कर्मियों की निर्धारित प्रशिक्षण संस्था के आधार पर हुआ है। अतः वेतनादि पर काय चलाए जा सकने वाला शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी जिस अनुपात में व्यय कम होगा। इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्ध उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी है। संबंधित संस्थान उपर्युक्त का आक्षेप अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

7. आवेदन करने पर विद्यार्थियों हेतु समर्पित करने वाले उनके Score Card में RANK, उनके आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा दिए गए संस्थान के विवरण के आधार पर डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु समिति द्वारा दिनांक 11.12.2025 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। उक्त सूची में चयनित विद्यार्थियों का संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक 11.12.2025 से 16.12.2025 तक नामांकन किया जाएगा।

8. नामांकन की अवधि में सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य / विभागाध्यक्ष तथा शिक्षक कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो इन विद्यार्थियों के नामांकन संबंधित सभी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। नामांकन कार्य रविवार को भी किया जाएगा। डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिये विद्यार्थियों की सुविधा के लिये आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त संस्था में काउन्सलरों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे नामांकन की प्रक्रिया सुगम हो सके।

9. डीएलएड संरचना कोषों के माध्यम से NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त राज्य के सरकारी एवं निजी डीएलएड कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु अर्थव्यवस्था का चयन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर की जाएगी :-

क. विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा का Score (Rank),

ख. डीएलएड कोर्स संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत सीट की संख्या,

ग. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान के विवरण,

घ. आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्राधान्य।

9.1 डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 में अनुत्तीर्ण किसी भी आवेदक का किसी भी संस्थान में नामांकन हेतु चयन नहीं किया जाएगा।

9.2 अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा डीएलएड संस्थान में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) दिनांक 11.12.2025 को जारी की जाएगी, जिसे संबंधित संस्थान को उनके Login ID पर भेज दिया जाएगा। Cut Off Rank (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति के Portal पर जारी किया जाएगा, जिसे आवेदक समिति के पोर्टल <https://www.bsebeled.com> पर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों को उनके Login ID में प्रथम सूचना पत्र (Intimation Letter) भी जारी किया जाएगा, जिसे वे Portal पर अपना ID एवं Password डालकर देख सकते हैं तथा Download कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनितों को SMS भी भेजा जाएगा।

9.3 निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, महेंद्र, पटना के पत्रांक 12 / विविध-11 / 2016-3680, दिनांक 04.11.2025 से प्राप्त निर्देश के आलोक में मेधा अंक प्राप्त करने वाले अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नियमों एवं अर्थव्यवस्था द्वारा दिए गए विकल्प का अनुपालन करते हुए शत-प्रतिशत नामांकन के उपरांत ही गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन की अग्रतः कारवाई की जाएगी।

10. चयनित आवेदक संबंधित संस्थान के प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करेंगे। संबंधित डीएलएड कोर्स संचालित संस्थान के प्राचार्य उक्त सूचना पत्र (Intimation Letter) एवं डाउनलोड एवं प्रिंट किए गए सूचना पत्र (Intimation Letter), Common Application Form का प्रिंट आउट सहित अन्य सभी दस्तावेजों को 10वीं बोरड परीक्षा का अंक पत्रक, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, 12वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्रक, प्रमाण पत्र, महाविद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र, प्रवृत्ति प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदित संस्थान द्वारा माँगी जाया उस प्रमाण पत्रों की स्वतःस्फूर्त रूप से प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के पाँच रंगीन फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन कराएँगे। प्राचार्य नामांकन के पूर्व मूल से मिलान कर विद्यार्थी का नामांकन लेगे एवं Portal पर प्रशिक्षण संस्थान के User ID एवं Password के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना 5:00 बजे के उपरांत प्रतिलिपि अद्यतन (Update) करेंगे। प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवेदक दिनांक 11.12.2025 से 16.12.2025 तक की अवधि में अपने आवेदित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित तिथि 11.12.2025 से 16.12.2025 तक वे अपना नामांकन चयनित संस्थान में अक्षर कर लें। नामांकन नहीं करने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय चयन सूची में विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् उन्का नाम सूची से हटा दिया जाएगा।

11. **स्लाइड अप (Slide Up) प्रक्रिया:-** यदि आवेदक प्रथम चयन में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, तब विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत दिनांक 11.12.2025 से 16.12.2025 तक पोर्टल के माध्यम से Student Login में जाकर अपने द्वारा दिए गए उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संपादन हेतु स्लाइड अप विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, परंतु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते हैं। स्लाइड अप विकल्प चुनने के पश्चात दूसरी सूची में विद्यार्थी के उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गए उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में से किसी संस्थान का चयन होने की सम्भावना रहती है, परंतु द्वितीय सूची में आवेदक का नाम चयनित होने के साथ ही उन्का स्थान पूर्व आवेदित संस्थान की प्रथम सूची से रिक्त हो जाएगा।

12. जिन विद्यार्थियों को प्रथम चयन में जो प्रशिक्षण संस्थान आवंटित हुआ है वे अनिवार्य रूप से 3000/- (तीन हजार रुपये) मात्र सुरक्षा राशि आवेदित संस्थान में जमा कर नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे, तभी उनके पास स्लाइड अप का विकल्प होगा।

13. जो आवेदक सूचना पत्र पर आवेदित संस्थान में निर्धारित अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं, वैसे आवेदकों का अर्थव्यवस्था अगले चरणों के लिए समाप्त हो जाएगा।

14. डीएलएड प्रवेश परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण जिन अर्थव्यवस्था के द्वारा ससमय ऑनलाइन आवेदन (CAF) भरा जाएगा, मात्र उन्हीं आवेदकों का नाम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किए जाने वाले डीएलएड प्रवेश परीक्षा, 2025 उत्तीर्ण अर्थव्यवस्था को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा एवं तदनुसार ऐसे अर्थव्यवस्था का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं होगा।

15. प्रथम चयन सूची में जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाता है इनका नाम पर स्वीकृत सीट संख्या के साथ प्रदर्शित सूची के संस्थानों में रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय / तृतीय चयन सूची (2nd/3rd Selection List) के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी पोर्टल पर पूर्व में सामान्य आवेदन प्रपत्र (CAF) में भरे गये (चयनित) विकल्पों में यदि चाहें तो प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की निर्धारित अवधि के पश्चात् रिक्त सीट से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु पूर्व में दिये गये विकल्प को संशोधित कर सकते हैं।

16. डीएलएड कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन के पूर्व अर्थव्यवस्था के चयन की प्रक्रिया में यदि किसी स्तर पर अथवा नामांकन प्रक्रिया में अथवा नामांकन के उपरांत किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अर्थव्यवस्था नामांकन / प्रवेश हेतु अपेक्षित शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / अन्य विहित योग्यता को पूर्ण नहीं करता है तो, उसका अर्थव्यवस्था / नामांकन समाप्त कर दिया जाएगा।

17. ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अर्थव्यवस्था द्वारा वांछित विवरणों को सही-सही भरा जाएगा। किसी भी त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अर्थव्यवस्था सूची दोबारा उन्का अर्थव्यवस्था पर कर दिया जाएगा।

18. सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त जिलावार सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान का नाम, आवेदित संस्थान कोड एवं स्वीकृत सीट की संख्या सहित सूची समिति के पोर्टल <https://www.bsebeled.com> पर अपलोड है। अर्थव्यवस्था उक्त सूची में से अपनी इच्छानुसार न्यूनतम 05 (पाँच) प्रशिक्षण संस्थानों तथा अधिकतम 30 (तीस) प्रशिक्षण संस्थानों के विकल्प को प्राथमिकता अंकित करेंगे।

18. नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क	प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सूची के नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके प्रशिक्षण संस्थान में होगा उस सभी विद्यार्थी की कुल संख्या के अनुसार 200/- रूपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल राशि Demand Draft/RTGS/NEFT के माध्यम से समिति द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को भेज दी जाएगी। अतः कोई भी प्रशिक्षण संस्थान किसी भी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क (Application Fee) नहीं लेगे। नामांकन के दौरान नियमानुसार नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं अन्य देय शुल्क (Other Applicable Fee) ही लेगे।
1	EWS/BC/EBC एवं सामान्य वर्ग	₹ 500	
2	SC/ST एवं दिव्यांग	₹ 350	

19. नामांकन हेतु चयनित विद्यार्थी एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के लिये आवश्यक निर्देश:-

19.1. 11.12.2025 को जारी किए जाने वाले प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 11.12.2025 से 16.12.2025 तक संबंधित संस्थानों द्वारा लिया जाएगा।

19.2. संबंधित संस्थान के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची पोर्टल के संस्थान Login में दिनांक 11.12.2025 से 16.12.2025 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन संस्था 5 बजे अपलोड करते रहेंगे। सभी संबंधित संस्थान अनिवार्य रूप से 16.12.2025 तक ही सभी नामांकन का Update अपडेशन समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दिनांक 17.12.2025 तक कर दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा करना अनिवार्य है कि संबंधित विद्यार्थी जो संस्थान में नामांकन लेते हैं उनका सीट पोर्टल में भरा हुआ माना जाए एवं प्रथम चयन सूची के नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची पोर्टल के माध्यम से पता चल सके। इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन किया जा सकेगा। अतएव सभी संस्थान के प्राचार्य उक्त निर्देश को ससमय अमल करने की कारवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

20. उल्लेखनीय है कि प्रथम चयन सूची के तहत नामांकन के पश्चात् कई विद्यार्थियों को Slide Up प्रक्रिया के तहत द्वितीय सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकता है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन करना होगा। इसके पश्चात् हो सकता है कि Slide Up प्रक्रिया के तहत तृतीय अंतिम सूची में भी विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प प्राप्त हों, जिसमें उनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थानों में नामांकन करायो जाना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विद्यार्थी को एक बार से अधिक बार नामांकन करने में बार-बार नामांकन हेतु शुल्क जमा करने में व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः इस आलोक में नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित प्रवधान किया गया है :-

20.1 किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय निर्धारित सुरक्षा शुल्क 3000/- रूपया लिया जाए।

20.2 तत्पश्चात् यदि किसी विद्यार्थी का अगामी द्वितीय सूची अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन करने के समय संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थी से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

20.3. पूरी चयन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय सूची के तहत नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित किसी भी राशि की निम्नलिखित सगीला की जाएगी :-

(क) अगर यह नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त की जाए।

(ख) अगर यह द्वितीय अथवा तृतीय नामांकन है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय सुरक्षा शुल्क की राशि जमा की गयी है। पूर्व के संस्थान उनके द्वारा नामांकित विद्यार्थियों से लिए गए सुरक्षा शुल्क की राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान को हस्तांतरित करेंगे। सभी संस्थानों के प्राचार्य विद्यार्थी के द्वारा जमा किए गए 3000/- रूपय की सुरक्षा राशि को एक माह के अंदर उक्त विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस को हस्तांतरित करेंगे।

21. सभी संस्थानों के प्राचार्य उनके यहाँ नामांकित अर्थव्यवस्था का समिति के पोर्टल पर Update का कार्य, इस हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत, अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में नामांकन के अंतिम अवसर पर नामांकित विद्यार्थियों के Update के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात्, उनके Update का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में विचारणीय नहीं होगा।

22. सत्र 2025-27 में डीएलएड संस्थानों के प्राचार्य उपर्युक्त विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से किसी भी विद्यार्थी का नामांकन नहीं लेगे। इस प्रक्रिया से इतर किसी भी प्रकार का नामांकन अवैध माना जाएगा। ऐसे नामांकित विद्यार्थियों को अनुवर्ती पंजीयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे तथा संबंधित संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र.सं.	कार्य	तिथि	अभिव्यक्ति
i.	आवेदन की तिथि	29.11.2025 से 05.12.2025 तक	डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध प्रथम चयन में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता Merit-Cum-Choice के आधार पर संस्थान आवंटन किया जाएगा। पुनः रिक्त सीटों के विरुद्ध क्रमिक रूप से, क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय चयन में संस्थान आवंटन उपरांतिक निर्देश / प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है।
ii.	प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि	11.12.2025	
iii.	नामांकन की अवधि	11.12.2025 से 16.12.2025 तक	
iv.	विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि	16.12.2025 तक	
v.	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर स्वरूपद कर अंतिम रूप से सीट Update किया जाना	17.12.2025 तक	
vi.	जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि	17.12.2025 से 18.12.2025 तक	
vii.	द्वितीय सूची जारी करने की तिथि	21.12.2025	
viii.	द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि	21.12.2025 से 26.12.2025 तक	
ix.	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट Update किया जाना	27.12.2025 तक	
x.	तृतीय सूची जारी करने की तिथि	03.01.2026	
xi.	तृतीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि	03.01.2026 से 08.01.2026 तक	
xii.	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट Update किया जाना	09.01.2026	

23. यदि उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो ई-मेल आई.डी. deledehelpdesk1@gmail.com पर अथवा मोबाइल नंबर 7903859788 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नोट:- Common Application Form (CAF) ऑनलाइन भरने हेतु आवेदक का आई०डी०, उन्का रोल नंबर एवं पासवर्ड जन्मातिथि आधारित होगा। आवेदक के निर्धारित मोबाइल पर भेजे गए OTP डालने पर ही (CAF) आवेदन स्वीकार होगा।